भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 132

(जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2025/20 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

इस्पात क्षेत्र में मूल्य समन्वय से संबंधित मामले

***132. श्री ससिकांत सेंथिलः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2015 से 2023 की अवधि के दौरान इस्पात क्षेत्र में कथित मूल्य समन्वय से संबंधित मामलों का अन्वेषण किया गया था/जांच की गई थी;
(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दर्ज किए गए निष्कर्ष और जारी किए गए निर्देश क्या हैं;
(ग) क्या ऐसे निष्कर्षों के अनुसरण में सरकार द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई थी या उपचारात्मक उपाय किए गए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) इस्पात क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा-रोधी कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या सरकार द्वारा उपभोक्ताओं और उत्तरवर्ती (डाउनस्ट्रीम) उद्योगों को ऐसे कृत्यों के प्रभाव से बचाने के लिए कोई सुरक्षा उपाय किए गए हैं/ तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

“इस्पात क्षेत्र में मूल्य समन्वय से संबंधित मामले” के संबंध में दिनांक 09.02.2026 के लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 132 के भाग (क) से (ङ) का उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मूल याचिका संख्या 6153/2021 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में इस्पात विनिर्माताओं द्वारा कथित कार्टेलाइजेशन से संबंधित एक मामला दर्ज किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक को कानून के अनुसार जांच करने के निर्देश दिए गए थे। जांच के पश्चात, महानिदेशक द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देशों सहित संबंधित पक्षों के साथ साझा किया गया। वर्तमान में, यह मामला अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोग के समक्ष जांच के अधीन है।

(घ) एवं (ङ): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कार्यप्रणालियों को रोकने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य से, आयोग प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यप्रणालियों के आरोपों से संबंधित प्राप्त सूचनाओं/संदर्भों की जांच करता है अथवा उपयुक्त मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच आरंभ करता है।

जांच पूरी होने पर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यकतानुसार आदेश पारित करता है, जिसमें कार्य-विरति आदेश, आर्थिक दंड का अधिरोपण तथा अन्य आवश्यक उपचार शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, इस्पात मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस्पात एक विनियमन-मुक्त क्षेत्र है तथा इस्पात की कीमतें बाजार की मांग-आपूर्ति की गतिशीलता, इस्पात कंपनियों की इनपुट लागत तथा प्रचलित करों/शुल्कों द्वारा निर्धारित होती हैं। सरकार देश में इस्पात क्षेत्र, जिसमें लघु एवं मध्यम उत्पादक भी शामिल हैं, के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण बना कर एक सुविधादाता की भूमिका निभाती है।

*****